अनुदान संख्या 19 – रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 19–MINISTRY OF DEFENCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*24,00*	*1,16*	*–22,84*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*21,50*
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original		7756,97,00	8363,22,00	8390,71,86	+27,49,86
पूरक	Supplementary		606,25,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,50,73
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
पूरक	*Supplementary*		*1,66,00*	*1,66,00*	. .	*–1,66,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*25*
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original		1006,68,00	1016,52,00	578,40,16	–438,11,84
पूरक	Supplementary		9,84,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					360,30,39

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *4.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में 60625.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और 950.73 लाख रु. अभ्यर्पित किए गए थे तथापि, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 2749.86

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.4.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2052" – "Secretariat –General Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grants of Rs.60625.00 lakhs was obtained in October, 2008 and February, 2009 and Rs.950.73 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the

लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 27,49,86,122 रुपए था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता होती है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

sanctioned provision by Rs.2749.86 lakhs (actual excess was Rs.27,49,86,122). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	76836.00			
पू.	S.	20000.00	91876.78	89988.85	–1887.93
पु.	R.	–4959.22			
मुख्य शीर्ष ''2014'' न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	609.00			
पू.	S.	2000.00	753.61	527.36	–226.25
पु.	R.	–1855.39			
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	34049.00			
पू.	S.	7944.00	42066.00	51272.07	+9206.07
पु.	R.	73.00			
मुख्य शीर्ष ''2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	613794.00			
पू.	S.	26520.00	646876.19	642780.15	–4096.04
पु.	R.	6562.19			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	222.00			
पू.	S.	53.00	209.66	183.69	–25.97
पु.	R.	–65.34			

(I) अधिक व्यय (6562.19 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के कारण हुआ जैसा कि मुख्य शीर्ष "2075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय" के अंतर्गत 25186.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2466.15 लाख रु. था।

(I) The excess (Rs.6562.19 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.25186.00 lakhs under Major Head "2075" - "Canteen Stores Department(CSD) - Directorate of Canteen Services". Actual excess, however, was Rs.2466.15 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - रक्षा उत्पादन विभाग" के अंतर्गत 205.39 लाख रु. का अधिक व्यय (143.93 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1160.93 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने और विदेश मंत्रालय के माध्यम से पार्षद (समन्वयक) के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Defence Production (DP)" – excess of Rs.205.39 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1160.93 lakhs including supplementary grant of Rs.143.93 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report and clearance of pending bills from Counselor (Coord.) through Ministry of External Affairs.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार" के अंतर्गत 9279.07 लाख रु. का अधिक व्यय (7944.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 41993.00 लाख रु.के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने और कैरोसिन, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों और रसदों में बढ़ोतरी किए जाने के कारण हुआ।

(III) Under Major Head "2055" - "Special Police–Charges paid in respect of J & K Light Infantry (JAKLI)" - excess of Rs.9279.07 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.41993.00 lakhs including supplementary grant of Rs.7944.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report and increase in rate of Kerosene, POL and provisions.

3. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "अन्य व्यय - सशस्त्र सेना अधिकरण" - 609.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2609.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2081.64 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) नया स्थापित किया जा रहा संगठन होने के कारण पूरे देश भर में स्थित अधिकरण के प्रधान और क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों द्वारा काम शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्य खरीद निदेशालय" - 222.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 53.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 275.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 91.31 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) विभिन्न कर्मचारी चयन आयोगों से डोजियर प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "सचिवालय - रक्षा विभाग" - 5101.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7115.58 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12216.58 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया की पूरी अदायगी न किए जाने, अदालत/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कम मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, लेखन सामग्री/कार्यालय उपस्करों और सूचना प्रौद्योगिकी मदों के पूर्ति आदेशों के मूर्त रूप न लेने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 5750.39 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "अन्य कार्यालय - रक्षा लेखा विभाग" - 62609.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 12712.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 75321.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2014" - "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal" - the original provision of Rs.609.00 lakhs was augmented to Rs.2609.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2081.64 lakhs (including supplementary grant) - due to non-operationalisation of Principal and Regional Branch Offices of the tribunal through out the country being a newly setup organization.

(B) Major Head "2408" - "Food – Direction and Administration – Chief Directorate of Purchase" - the original provision of Rs.222.00 lakhs was augmented to Rs.275.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.53.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.91.31 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of dossiers from various Staff Selection Commissions and economy measures.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2052" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Secretariat - Department of Defence" – the original provision of Rs.5101.00 lakhs was augmented to Rs.12216.58 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7115.58 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5750.39 lakhs - due to non-payment of 6th CPC arrears in full, less finalization of court/ CAT cases, non- materialization of supply orders of stationery/office equipments and IT items and economy measures.

(B) "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)" - the original provision of Rs.62609.00 lakhs was augmented to Rs.75321.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.12712.00 lakhs which, however, remained

किए जाने के संबंध में कम निधियों की आवश्यकता होने, विक्रेताओं से हार्डवेयर प्राप्त न होने और क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिप्राप्ति के मूर्त रूप न लेने के कारण 595.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

unutilised to the extent of Rs.595.45 lakhs - due to requirement of less funds towards implementation of 6th Central Pay Commission Report, non-receipt of hardwares from the vendors and non-materialisation of procurement in the field offices.

(III) मुख्य शीर्ष "2052" - "अन्य कार्यालय - रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत 747.63 लाख रु. की बचत (7792.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया की पूरी अदायगी न किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, अदालती/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, लेखन सामग्री/कार्यालय उपस्कर और सूचना प्रौद्योगिकी मदों की अधिप्राप्ति के मूर्त रूप न लेने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2052" – "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)" - saving of Rs.747.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7792.00 lakhs) was due to non-payment of 6th Central Pay Commission arrears in full, non-filling up of vacant posts, less finalisation of court /CAT cases, non materialisation of procurement of stationery/office equipments and IT items and economy measures.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (166.00 लाख रु.) फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए *166.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 100 प्रतिशत थीं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*Rs.166.00 lakhs*) constituted 100 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.166.00 lakhs* obtained in February, 2009.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
पू.	S.	*166.00*	*165.75*	. .	*–165.75*
पु.	R.	*–0.25*			

(I) *166.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* ''सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत विधि एवं न्याय मंत्रालय से कानूनी सलाह प्राप्त न होने और न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय पर अंतिम फैसला/अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary *appropriation* of *Rs.166.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under "Customs – Coast Guard Organisation" – due to delay in sanction by Ministry of Defence for want of legal opinion by Ministry of Law and Justice and the final verdict/finalisation of the award by the court.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (43811.84 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 984.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.43811.84 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.984.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 43 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services					
मू.	O.	94797.00				
पु.	R.	–37255.50		57541.50	50642.76	–6898.74
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	4158.00				
पू.	S.	982.00		4790.27	4362.09	–428.18
पु.	R.	–349.73				
मुख्य शीर्ष ''4075'' विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services			200.00	86.27	–113.73

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1313.00	1224.84	896.89	–327.95
पु.	R.	–88.16			
मुख्य शीर्ष ''4853'' अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Miningand Metallurgical Industries				
पू.	S.	1.00	900.00	900.00	. .
पु.	R.	899.00			
मुख्य शीर्ष ''6853'' अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6853" Loans for Non-Ferrous Miningand Metallurgical Industries				
पू.	S.	1.00	900.00	900.00	. .
पु.	R.	899.00			
मुख्य शीर्ष ''7615'' विविध कर्ज	Major Head "7615" Miscellaneous Loans				
मू.	O.	200.00	65.00	52.15	–12.85
पु.	R.	–135.00			

(I) 1282.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - निर्माण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''सशस्त्र सेना अधिकरण'' - 982.00 लाख रु. का पूरक अनुदान सशस्त्र सेना अधिकरण के देश में विभिन्न स्टेशनों पर नए स्थापना शाखा कार्यालय की व्यवस्था न किए जाने/खोले न जाने के कारण था।

(I) Provision of Rs.1282.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction" – under the following heads:-

(A) "Armed Forces Tribunal" – supplementary grant of Rs.982.00 lakhs – due to non-settlement/ opening of newly establishment branch office of Armed Forces Tribunal at various stations in the country.

(खा) ''रक्षा संपदा संगठन'' - 300.00 लाख रु. विभिन्न स्टेशनों पर रक्षा संपदा संगठन परिसर के कार्यालय-सह-आवासीय परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4047'' - ''सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत 44154.24 लाख रु. की बचत (94797.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों की सुपुर्दगी में विलंब होने, गियर बाक्स प्राप्त किए जाने में विलंब होने की वजह से यार्ड 1024 के चरण-VII को पूरा न किए जाने, प्रतिबद्ध देयताओं के अंतर्गत स्कीम - 03 ओ पी वी के संबंध में अपेक्षित चरणों को निष्पादित न किए जाने, विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब होने और जी एस एल फ्लैटों के पूर्ण खरीद के संबंध में विक्रय विलेख को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से कम व्यय होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4075'' - ''कैंटीन सेवा विभाग - निर्माण'' के अंतर्गत 113.73 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एम ई एस से प्रस्तावित कार्य के लिए मांग टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी आवासीय भवन - अन्य आवास - निर्माण'' के अंतर्गत 416.11 लाख रु. की बचत (1313.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्टेशनों पर रक्षा संपदा संगठन परिसर के कार्यालय-सह-आवासीय परियोजनाओं के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और इंजीनियरी प्राधिकारियों द्वारा निविदा संबंधी कार्रवाई में विलंब किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''7615'' - ''विविध कर्ज - यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन को कर्ज'' के अंतर्गत 147.85 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन से अग्रिमों की कम मांग किए जाने के कारण हुई।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2342.16 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(B) "Defence Estate Organisation" – Rs.300.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals for office-cum-residential projects of Defence Estate Organisation Complex at various stations.

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Coast Guard Organisation" - saving of Rs.44154.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.94797.00 lakhs) was due to delay in delivery of vessels, non-achievement of stage-VII of yard 1024 owing to delay in receipt of gear boxes, non-achieving of requisite stages towards the scheme-03 OPVs under committed liabilities, delay in sanctioning various projects and less outgo owing to non-finalisation of sale deed in r/o outright purchase of GSL Flats.

(III) Under Major Head "4075" - "Canteen Services Department-Construction" - saving of Rs.113.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of demand note from MES for the proposed work.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings- Other Housing-Construction" - saving of Rs.416.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1313.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for office-cum-residential projects of Defence Estate Organisation complex at various stations and delay in tender action by engineering authorities.

(V) Under Major Head "7615" - "Miscellaneous Loans - Loans for Unit Run Canteens" - saving of Rs.147.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to less requisition of advance from Unit Run Canteen.

6. The above savings were partly (Rs.2342.16 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - निर्माण - रक्षा लेखा विभाग'' - 544.16 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 504.09 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष ''4853'' - ''अन्य खनन और धातु कर्म उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश- मिश्र धातु निगम लिमिटेड'' - 899.00 लाख रु.।

(III) मुख्य शीर्ष ''6853'' - ''अन्य खनन और धातु कर्म उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - मिश्र धातु निगम लिमिटेड'' - 899.00 लाख रु.।

(I) Major Head "4059" - "Office Buildings – Construction - Defence Accounts Department" - Rs.544.16 lakhs. Actual excess, however, was Rs.504.09 lakhs.

(II) Major Head "4853" – "Other Mining and Metallurgical Industries – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Mishra Dhatu Nigam Ltd." – Rs.899.00 lakhs.

(III) Major Head "6853" – "Other Mining and Metallurgical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Mishra Dhatu Nigam Ltd." – Rs.899.00 lakhs.